



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02012023-241604
CG-DL-E-02012023-241604

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5918]
No. 5918]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2022/पौष 9, 1944
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2022/PAUSHA 9, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2022

का.आ. 6161(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4773 (अ) तारीख 07 अक्टूबर 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा हरियाणा राज्य के पलवल जिले में NH19 के कि.मी. 44.2 से कि.मी. 93.8 (लघु सचिवालय, पलवल) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख 07 अक्टूबर, 2022 को हिन्दी समाचार पत्र अमर उजाला और अंग्रेजी समाचार पत्र टॉप स्टोरी दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के पलवल जिले में NH19 के कि.मी. 44.2 से कि.मी. 93.8 (लघु सचिवालय, पलवल) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: हरियाणा		जिले का नाम: पलवल			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: पलवल				
	गांव का नाम: गदपुरी				
1	26//19 Min	अन्य(पंचायत देह)	नहरी	0.093584	पंचायत देह ()
2	26//20/1/1/1	अन्य(पंचायत देह)	नहरी	0.017705	पंचायत देह ()
3	26//21/2/2	अन्य(पंचायत देह)	नहरी	0.0328809	पंचायत देह ()
4	26//22	अन्य(पंचायत देह)	नहरी	0.404688	पंचायत देह ()
5	27//1/2/2	अन्य(पंचायत देह)	नहरी	0.0379395	पंचायत देह ()
6	27//10/1/1	अन्य(पंचायत देह)	नहरी	0.027822	पंचायत देह ()
7	27//11/2/2/2	अन्य(पंचायत देह)	नहरी	0.025293	पंचायत देह ()
8	27//12 Min	अन्य(पंचायत देह)	नहरी	0.2149905	पंचायत देह ()
9	27//19 Min	अन्य(पंचायत देह)	नहरी	0.146699	पंचायत देह ()
10	27//2	अन्य(पंचायत देह)	नहरी	0.404688	पंचायत देह ()
11	27//20/1/1/1	अन्य(पंचायत देह)	नहरी	0.025293	पंचायत देह ()
12	27//21/2/2/2	अन्य(पंचायत देह)	नहरी	0.0075879	पंचायत देह ()
13	27//22 min	अन्य(पंचायत देह)	नहरी	0.0480567	पंचायत देह

					()
14	27//9	अन्य(पंचायत देह)	नहरी	0.404688	पंचायत देह ()
15	61/2 Min	अन्य(पंचायत देह/पी.डब्लू.डी.)	सड़क	0.0708204	पंचायत देह & पीडबल्यूडी डिपार्टमेंट ()
	गांव का नाम: पृथला				
16	80//7/1/1 Min	निजी	गैर-कृषि रास्ता	0.0075879	श. अनिल कुमार एँस्/ओ शिव चरण 11/20 शेयर देशपाल @ देशराज, कैलाश चंदर एँस्/ओ रामफूल इक्कल शेयर 1/10 शेयर महिंदर सिंह एँस्/ओ फतेह राम 1/4 शेयर अजित सिंह एँस्/ओ चिरंजी लाल 1/30 विकास किर्षण एँस्/ओ अंजित सिंह इक्कल श ()
			कुल	1.9703	

[फा. सं. 11012/Ph. V/NH-2/LA/DA/DK-II/2009/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th December, 2022

S.O. 6161(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number 4773(E) dated 7th October 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/six-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH19 on the stretch of land from Km. 44.400 to Km. 94.000 (Delhi-Agra Section) in the district of PALWAL in the state of HARYANA.

And whereas the substance of the said notification has been published in the Newspaper “Amar Ujala” dated 16th October 2022 in Hindi and “Top Story” dated 16th October 2022 in English; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH19 in the stretch of land from Km. 44.400 to Km. 94.000 in the district of PALWAL in the state of HARYANA.

State: HARYANA District: PALWAL					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Palwal				
	Village: Gadpuri				
1	26//19 Min	Common(Panchayat Deh)	Nahri	0.093584	Panchayat Deh
2	26//20/1/1/1	Common(Panchayat Deh)	Nahri	0.017705	Panchayat Deh
3	26//21/2/2	Common(Panchayat Deh)	Nahri	0.0328809	Panchayat Deh
4	26//22	Common(Panchayat Deh)	Nahri	0.404688	Panchayat Deh
5	27//1/2/2	Common(Panchayat Deh)	Nahri	0.0379395	Panchayat Deh
6	27//10/1/1	Common(Panchayat Deh)	Nahri	0.027822	Panchayat Deh
7	27//11/2/2/2	Common(Panchayat Deh)	Nahri	0.025293	Panchayat Deh
8	27//12 Min	Common(Panchayat Deh)	Nahri	0.2149905	Panchayat Deh
9	27//19 Min	Common(Panchayat Deh)	Nahri	0.146699	Panchayat Deh
10	27//2	Common(Panchayat Deh)	Nahri	0.404688	Panchayat Deh
11	27//20/1/1/1	Common(Panchayat Deh)	Nahri	0.025293	Panchayat Deh
12	27//21/2/2/2	Common(Panchayat Deh)	Nahri	0.0075879	Panchayat Deh
13	27//22 min	Common(Panchayat Deh)	Nahri	0.0480567	Panchayat Deh
14	27//9	Common(Panchayat Deh)	Nahri	0.404688	Panchayat Deh
15	61/2 Min	Common(Panchayat Deh/PWD)	Road	0.0708204	Panchayat Deh & PWD Department

	Village: Prithala				
16	80//7/1/1 Min	Private	Non Agricultural Path	0.0075879	Sh. Anil Kumar s/o Shiv Charan 11/20 Share Despal @ Desraj, Kailash Chander s/o Ramphool equal share 1/10 share Mahinder singh s/o Fateh Ram 1/4 share Ajit singh s/o Chiranji Lal 1/30 Vikas Kirshan S/o Anjit Singh equal share 1/15 share
			TOTAL	1.9703238	

[F. No. 11012/Ph. V/NH-2/LA/DA/DK-II/2009/3D]

RAJESH GUPTA, Director